# मीरजापुर पुलिस

## —प्रेस नोट—

दिनांकः21.03.2025

**थाना अहरौरा, एसओजी/सर्विलांस व आबकारी की संयुक्त टीम द्वारा 384 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब के साथ 02 अंतर्राज्यीय शराब तस्कर गिरफ्तार, अवैध शराब तस्करी में प्रयुक्त चोरी का वाहन बरामद-**

वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक मीरजापुर "सोमेन बर्मा" द्वारा जनपद में शांति एवं कानून व्यवस्था सुदृढ़ बनाये रखने हेतु अपराध की रोकथाम एवं अपराधियों के विरुद्ध प्रभावी कार्यवाही करने तथा अवैध रूप से मादक पदार्थों की तस्करी में लिप्त अपराधियों के विरूद्ध चलाये जा रहे अभियान में प्रभावी कार्यवाही करने हेतु जनपद के समस्त प्रभारी निरीक्षक/थानाध्यक्षगण को निर्देश दिया गया है।

उक्त निर्देश के अनुक्रम में थाना अहरौरा पुलिस, एसओजी/सर्विलांस व आबकारी विभाग की संयुक्त टीम को बड़ी सफलता हाथ लगी है। आज दिनांकः 21.03.2025 को मुखबिर से प्राप्त सूचना के आधार पर थाना अहरौरा, एसओजी/सर्विलांस व आबकारी विभाग की संयुक्त पुलिस टीम द्वारा थाना अहरौरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बेलखरा, ओम साई कृपा रेस्टूरेन्ट के पास सघन चेकिंग कर अर्टिका कार अंकित वाहन संख्याः UP 65 AS 4324 सवार 02 अभियुक्तगण 1. पंकज कश्यप पुत्र मदन कुमार निवासी शास्त्री पार्क उस्मानपुर थाना उस्मानपुर जनपद दिल्ली 54 व 2. उमेश पुत्र सुरेश गुज्जर निवासी उस्मानपुर थाना उस्मानपुर जनपद दिल्ली53 को गिरफ्तार किया गया। बरामद वाहन की तलाशी ली गयी तो उपरोक्त अर्टिका कार में लदी हुई कुल 169 बोतल ब्लेंडर्स प्राइड (प्रत्येक बोतल 750ml), 132 बोतल रायल स्टैग (प्रत्येक बोतल 750ml), 48 बोतल रायल स्टैग प्रीमियम (प्रत्येक बोतल 750ml), 35 बोतल रायल स्टैग डबल डार्क (प्रत्येक बोतल 750ml) कुल 384 बोतल अवैध अंग्रेजी शराब बरामद हुई । उक्त गिरफ्तारी व बरामदगी के सम्बन्ध में थाना अहरौरा पर मु0अ0स0- 55/2025 धारा 318(4),319(2),336(3),338,340(2),317(2) व 60/63 आबकारी अधिनियम पंजीकृत कर नियमानुसार अग्रिम विधिक कार्यवाही करते हुए गिरफ्तार अभियुक्त को मा0न्यायालय/जेल भेजा जा रहा है तथा शराब तस्करी में प्रयुक्त अर्टिका कार को अन्तर्गत धारा 207 एमवी एक्ट में सीज किया गया।

**पूछताछ विवरण —**

गिरफ्तार अभियुक्त द्वारा पूछताछ में बताया गया कि अंग्रेजी शराब को हिमांचल प्रदेश से झारखण्ड ले जाकर ऊंचे दामों पर बिक्री कर देते है। अभियुक्त द्वारा बताया गया कि बिक्री हेतु ले जा रहे शराब को विभिन्न प्रदेश की सीमाओं में प्रवेश करने से पूर्व वाहन का नम्बर प्लेट उस प्रदेश के अनुसार बदल देते है ताकि पकड़े न जा सके।

**नाम पता गिरफ्तार अभियुक्त—**

1. पंकज कश्यप पुत्र मदन कुमार निवासी शास्त्री पार्क उस्मानपुर थाना उस्मानपुर जनपद दिल्ली 54।
2. उमेश पुत्र सुरेश गुज्जर निवासी उस्मानपुर थाना उस्मानपुर जनपद दिल्ली53।

**बरामदगी विवरण —**

कुल 384 बोतल (प्रत्येक बोतल 750ml) अंग्रेजी शराब

अर्टिका कार अंकित वाहन संख्याः UP 65 AS 4324

**पंजीकृत अभियोग —**

मु.अ.स. **55/25** धारा **318(4),319(2),336(3),338,340(2),317(2)** व **60/63** आब. अधि. थाना अहरौरा मीरजापुर।

**गिरफ्तारी स्थान, दिनांक–**

**थाना अहरौरा क्षेत्रांतर्गत ग्राम बेलखरा, ओम साई कृपा रेस्टूरेन्ट के पास से दिनांक 21.03.2025 को।**

**गिरफ्तारी व बरामदगी करने वाली पुलिस टीम —**

उप निरीक्षक महेन्द्र कुमार, उप निरीक्षक इन्द्र भुषण मिश्रा मय पुलिस टीम थाना अहरौरा जनपद मीरजापुर।

निरीक्षक राजीव कुमार सिंह प्रभारी एस.ओ.जी. मय पुलिस टीम।

उप निरीक्षक मानवेन्द्र सिंह प्रभारी सर्विलांस मय पुलिस टीम।

आबकारी निरीक्षक राजेश मय आबकारी टीम।